

Gauhati High Court

The Gauhati High Court as of today emerged from the High Court of Assam. On 9th September 1947, the Assam Legislative Assembly adopted a resolution that a High Court be established for the Province of Assam. On 1st March, 1948, the Governor General of India promulgated the Assam High Court Order, 1948, under the provisions of the Government of India Act, 1935, establishing the High Court of Assam with effect from 5th April, 1948, at Shillong (the then capital of Assam, now in present day Meghalaya). Sir R.F. Lodge was sworn in as the first Chief Justice of Assam High Court on 5th April, 1948.

The High Court of Assam shifted to the Old Commissioner's Building at Gauhati on 14th August, 1948. It was subsequently shifted to a dome structured building (now the Old Block of the Gauhati High Court) on 20th February, 1957, and then to its present location (now the New Block of the Gauhati High Court) adjacent to the mighty Brahmaputra river on 16th December, 2013.

With the creation of the State of Nagaland on 1st December, 1963, the High Court of Assam came to be known as the High Court of Assam and Nagaland. On the reorganization of the North-Eastern region by the North Eastern Area (Reorganization) Act, 1971, a common High Court, called the Gauhati High Court, was established for the five North-Eastern States of Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya and Tripura and the two Union Territories of Mizoram and Arunachal Pradesh. The Gauhati High Court became the common High Court for the 7 (seven) States of North Eastern India after the Union Territories of Mizoram and Arunachal Pradesh attained statehood.

With the establishment of separate High Courts for the States of Manipur, Meghalaya and Tripura on 23rd March, 2013, the Gauhati High Court now has jurisdiction over the States of Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh, with its Principal Seat at Guwahati and 3 (three) permanent Benches in Kohima (Nagaland), Aizawl (Mizoram) and Itanagar (Arunachal Pradesh).

The Gauhati High Court has played a seminal role in the separation of the judiciary from the executive in the States of Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh. The

neighbouring States of Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh with its colourful and diverse customary laws and practices are unique in itself. Handed down from generations, the customary laws and practices recognize the Village Council consisting of the elders of a tribe as the supreme decision-making body of the village. Special provisions in relation to customary laws and practices conferred upon the States of Nagaland and Mizoram under Article 371A and Article 371G respectively of the Constitution of India have been staunchly protected by the Gauhati High Court in various landmark decisions.

The Gauhati High Court administers justice in an area having enormous variations, geographically as well as ethnically. Divergent laws govern the people of the region. The indigenous inhabitants of the hill areas are primarily adapted to the conciliatory process rather than the adversarial system. Some of the customary practices for settlement of disputes prevalent in this area are not only expeditious and lasting, but far more efficacious than the system followed in the rest of the country. The laws applicable to different areas may vary, but the entire area is administered by a common High Court. Notable legal luminaries, including Fakhruddin Ali Ahmed (former President of India); Keshab Chandra Gogoi (former Chief Minister of Assam); Dinesh Goswami (former Union Minister); Justice Ranjan Gogoi (former Chief Justice of India) and many others have graced the corridors of the Gauhati High Court and contributed to its development. These celebrated legal luminaries and countless others are the toast of the legal fraternity and this institution pays its homage to these great personalities.

The Gauhati High Court is celebrating its Platinum Jubilee on 5th April, 2023. On the occasion of the Platinum Jubilee year of the Gauhati High Court, the Department of Posts, Government of India, is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp and salutes its contribution in the development of the north east region of the country.

Credits:

Stamp/FDC/Brochure : Ms. Himani
Cancellation Cachet : Smt. Nenu Gupta
Text : Based on information provided by the proponent.



डाक विभाग
Department of Posts



PLATINUM JUBILEE (1948-2023) प्लैटिनम जयंती
Gauhati High Court गौहाटी उच्च न्यायालय

विवरणिका
BROCHURE

गौहाटी उच्च न्यायालय

वर्तमान गौहाटी उच्च न्यायालय का उद्भव असम उच्च न्यायालय से हुआ। 9 सितंबर, 1947 को असम विधान सभा द्वारा एक संकल्प पारित किया गया कि असम प्रांत के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया जाए। 1 मार्च, 1948 को भारत के गवर्नर जनरल ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत असम उच्च न्यायालय आदेश, 1948 लागू किया। इसी आदेश के तहत 5 अप्रैल, 1948 को शिलांग (उस समय असम की राजधानी, जो वर्तमान में मेघालय में है) में असम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उसी दिन, सर आर.एफ.लॉज ने असम उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

14 अगस्त, 1948 को, असम उच्च न्यायालय को गौहाटी के पुराने कमिश्नर भवन में स्थानांतरित किया गया। तत्पश्चात् 20 फरवरी, 1957 को इसे एक गुंबदनुमा भवन (जहां अब गौहाटी उच्च न्यायालय का पुराना ब्लॉक मौजूद है) में स्थानांतरित कर दिया गया। असम उच्च न्यायालय को, 16 दिसंबर, 2013 को महानदी ब्रह्मपुत्र के निकट इसके मौजूदा स्थान (अब गौहाटी उच्च न्यायालय का नया भवन) में शिफ्ट किया गया।

1 दिसंबर, 1963 को नागालैंड राज्य बनाए जाने के बाद असम उच्च न्यायालय को असम एवं नागालैंड उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाने लगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा पूर्वोत्तर प्रांत के पुनर्गठन के बाद पूर्वोत्तर के पांच राज्यों : असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तथा दो संघ राज्य-क्षेत्रों-मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, सबके लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे गौहाटी उच्च न्यायालय का नाम दिया गया। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य-क्षेत्रों को राज्य का दर्जा मिलने के बाद गौहाटी उच्च न्यायालय, पूर्वोत्तर भारत के 7 (सातों) राज्यों का उच्च न्यायालय बन गया।

23 मार्च, 2013 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना के बाद से गौहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अब असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य आते हैं। इसका प्रधान पीठ गौहाटी में तथा 3 (तीन) स्थायी न्यायपीठ, कोहिमा (नागालैंड), आइजोल (मिजोरम) और ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में हैं।

गौहाटी उच्च न्यायालय ने नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य खूबसूरत एवं विविध परंपरागत विधानों एवं रीति-रिवाजों के कारण अपने आप में अनूठे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ये विधान एवं रीति-रिवाज,

ग्राम परिषद को निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय के रूप में मान्यता देते हैं। इस परिषद में वहां के बड़े-बूढ़े शामिल होते हैं। परंपरागत विधानों एवं रीति-रिवाजों के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371क और अनुच्छेद 371छ के तहत क्रमशः नागालैंड और मिजोरम राज्यों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में दृढ़ता से संरक्षित किया गया है।

गौहाटी उच्च न्यायालय एक ऐसे क्षेत्र में न्याय सुनिश्चित करता है, जो भौगोलिक और जातीय रूप से विविधतापूर्ण है। इस क्षेत्र के लोगों को अलग-अलग कानून शासित करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के मूल निवासी मुख्यतः विरोधात्मक प्रणाली के स्थान पर समाधान की राह चुनते हैं। विवादों के निपटान के लिए इस क्षेत्र में प्रचलित कुछ पद्धतियां न केवल त्वरित और स्थायी समाधान देती हैं, बल्कि देश के शेष हिस्सों में अपनाई जाने वाली प्रणाली की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी भी हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में लागू कानून भिन्न हो सकते हैं परंतु यह पूरा क्षेत्र एक ही उच्च न्यायालय द्वारा शासित किया जाता है। प्रख्यात विधिवेत्ता फखरुद्दीन अली अहमद (भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति) केशव चंद्र गोगोई (असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री) दिनेश गोस्वामी (भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री) न्यायाधीश रंजन गोगोई (भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश) सहित कई अन्य गणमान्य लोगों ने गौहाटी उच्च न्यायालय की शोभा बढ़ाई है और इसके विकास में योगदान दिया। ये प्रतिष्ठित विधिवेत्ता एवं अनगिनत अन्य, विधि क्षेत्र की शान हैं और यह संस्था, ऐसे महान व्यक्तियों का सम्मान करती है।

गौहाटी उच्च न्यायालय 5 अप्रैल, 2023 को अपनी प्लैटिनम जयंती मना रहा है। गौहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जयंती वर्ष के अवसर पर डाक विभाग, भारत सरकार स्मारक डाक-टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में इसके योगदान को सलाम करता है।

आभार :

डाक-टिकट/प्रथम दिवस आवरण/: सुश्री हिमानी

विवरणिका

विरूपण कैंशे : श्रीमती नीनू गुप्ता

पाठ : प्रस्तावक से प्राप्त सामग्री के आधार पर

तकनीकी आंकड़े

TECHNICAL DATA

मूल्यवर्ग	: 500 पैसे
Denomination	: 500 p
मुद्रित डाक-टिकटें	: 303600
Stamps Printed	: 303600
मुद्रण प्रक्रिया	: वेट ऑफसेट
Printing Process	: Wet Offset
मुद्रक	: प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	: Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5.00